लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी, (राजस्व) (जिला कलक्टर) चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी – आलोक रंजन (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 011/2026(सू.अ.) (GCMS 2026/24)	दायर दिनांक 20-01-2026	निर्णय दिनांक 11-02-2026

उनवान

श्री संजय कुमार जैन निवासी गोठी भवन, वार्ड नं. 08, रावतभाटा, तहसील रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

प्रत्यर्थी

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

–:: निर्णय ::–

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना चाहने हेतु एक आवेदन दिनांक 08.12.2025 को लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.) के यहां प्रस्तुत किया, प्रस्तुत आवेदन के संबंध में अधिनियम द्वारा निर्धारित समायावधि 30 दिवस की अवधि में भी लोक सूचना अधिकारी से अपीलार्थी को उसके द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराने से अपीलार्थी द्वारा यह हस्तगत प्रथम अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर इस न्यायालय के पत्र क्रमांक/ सरिश्ता/प्र.सं./011/2026(सू.अ.)(11.02)/55 दिनांक 21.01.2026 से अपील मेमो एवं उसके संलग्नकों की प्रति लोक सूचना अधिकारी (राजस्व)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ को प्रेषित करते हुये, प्रकरण में आगामी नियत दिनांक 11.02.2026 से पूर्व कमेंट्स प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करते हुए, अपीलार्थी को भी समसंख्यक पत्रांक (रजिस्टर्ड) से नियत दिनांक 11.02.2026 को अपना पक्ष रखने हेतु उपस्थित होने के लिये लिखा गया।

रजिस्टर्ड पत्र के माध्यम से सूचना देने पर भी अपीलार्थी नियत दिनांक 11.02.2026 को अपना पक्ष रखने हेतु उपस्थित नहीं हुआ।

लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ ने अपने पत्र क्रमांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2026/15 दिनांक 11.02.2026 से बिन्दुवार टिप्पणी/कमेंट्स प्रेषित किये जो इस प्रकार हैः-

1. यह सही है कि प्रार्थी श्री संजय कुमार जैन निवासी गोठी भवन, वार्ड नम्बर 08, रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़ द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 15.12.2025 को इस कार्यालय में प्राप्त हुआ हैं।
2. यह कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन से वांछित सूचना अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, रावतभाटा एवं सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार, रावतभाटा से संबंधित होने से इस कार्यालय के पत्रांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2025/315 दिनांक 19.12.2025 से सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6 (3) के तहत अन्तरित कर प्रार्थी को अवगत करा दिया गया है। (प्रति संलग्न)
3. यह कि प्रार्थी प्रार्थना पत्र से वांछित सूचना प्रार्थी को उपलब्ध करवा दिये जाने से वर्तमान में इस प्रकरण पर इस कार्यालय स्तर पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं रहती है।
4. यह कि प्रार्थी को वांछित सूचना नियमानुसार उपलब्ध करा दी गई हैं। अतः अपील अपीलार्थी निरस्त कराने का श्रम करावें।

हमने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील आवेदन तथा लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ द्वारा प्रेषित कमेंट्स तथा उसके संलग्न अनुलग्नकों का अवलोकन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनतापूर्वक अध्ययन एवं परिशीलन किया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

जिसके अनुसार अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन दिनांक 08.12.2025 से वांछित सूचना अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़ से संबंधित होने से अपीलार्थी का उक्त आवेदन लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ द्वारा जरिये पत्रांक/एडीएम/पीए/लोसूअ/2025/315 दिनांक 19.12.2025 से सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के तहत विहित समयावधि में संबंधित लोक सूचना अधिकारी अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़ को स्थानान्तरित करते हुए उक्त पत्र की छायाप्रति अपीलार्थी को भी पृष्ठांकित किया जाना स्पष्ट प्रतिवेदित है। अतः इस आवेदन पत्र पर अग्रिम कार्यवाही अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़ के स्तर से अपेक्षित थी। अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका रावतभाटा, जिला चित्तौड़गढ़ द्वारा अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई है तो उस दशा में अपीलार्थी को उनके अपीलीय प्राधिकारी के यहां अपील प्रस्तुत करनी चाहिए थी। आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ द्वारा धारा 6(3) में विहित समयावधि में अन्य लोक सूचना अधिकारी को हस्तान्तरित करने की दशा में इस न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार नहीं रह जाता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के अधार पर प्रस्तुत अपील पर इस न्यायालय का क्षेत्राधिकार नहीं होने के आधार पर अपील खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन) चित्तौड़गढ़ तथा अपीलार्थी को जरिये रजिस्टर्ड डाक निःशुल्क प्रेषित की जावे।

'निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।'

(आलोक रंजन)(I.A.S.)
लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी,
(राजस्व) (जिला कलक्टर),
चित्तौड़गढ़ (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official